न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—199/2019/75 (2019/00199)

1. रामदेव पुत्र मूला,
2. श्रीमती सुगनी पुत्री मूला,
   समस्त जाति गुर्जर, निवासी नारेली, तह0 व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।
2. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर जरिये सचिव ।

रेस्**पोडेंटस**

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर, आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ.12 (सी)/13/292 दिनांक 27.9.2013.

उपस्थितः—

1. श्री लक्ष्मणनाथ योगी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. श्री रामकिशोर खदाव, वकील रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 8.8.2019

1. यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ.12 (सी)/13/292 दिनांक 27.9.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस पुश्तैनी/मौरूसी काश्तकारी की नारेली, तहसील अजमेर स्थित आराजियात साबिक खसरा नंबर 3270 रकबा 5 बीघा जिसके वर्किंग खसरा नंबर 3590 रकबा 5 बीघा कायम किये गये जिसके आधार खसरा नंबर 1736 रकबा 0.70 है0 एवं 1737/5528 मिन रकबा 0.11 है0 कायम हुए पर अपीलांटस के पिता मूला पुत्र तेजा राजस्थान काश्तकारी अधि0 दिनांक 15.6.1958 को अजमेर में प्रभाव में आने से पूर्व से ही बहैसियत मौरूसी काश्तकार काबिज काश्त चले आ रहे थे, इसी कारण जमाबंदी संवत् 0219 से 2022 में भली कृषक के कॉलम में मूला पुत्र तेजा दर्ज है लकिन खातेदार अंकित नहीं किया गया है जबकि खसरा गिरदावरी संवत् 2015 से 2042 एवं परिवर्तनशील संवत् 2017 से 2038 के अनुसार मूल पुत्र तेजा अपने जीवनकाल में लगातार काबिज काश्त रहे । इसी कारण अपीलांटस ने उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष उद्घोषणा खातेदारी हेतु नियमित राजस्व वाद पेश किया जो विचाराधीन है । इस वाद के विचाराधीन रहते विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने अपने आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ.12 (सी)/13/292 दिनांक 27.9.2013 के द्वारा विवादित आराजियात को गैर कानूनी रूप से अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को हस्तातंरित करने के आदेश पारित कर दिये । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए बहस करते हुए बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात अपीलांटस के पिता मूला पुत्र तेजा की खातेदारी काश्तकारी की आराजियात रही है जिस पर राज0काश्त0अधि0 दिनांक 15.6.1958 को अजमेर में प्रभाव में आने से पूर्व से ही अपीलांटस के पिता बहैसियत मौरूसी कृषक काबिज काश्त चले आ रहे थे, जिससे विधि प्रभाव से उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे तथा कृषक के कॉलम में जमाबंदी संवत् 2015 से 2022 में अपीलांटस के पिता का नाम दर्ज है लेकिन त्रुटिपूर्ण रूप से काश्तकारान अतिक्रमी अंकित कर दिया गया है जबकि दिनांक 15.6.1958 को मूला काबिज होने से खातेदारी अधिकार ग्रहण कर चुका था । काबिज खातेदार मूला के पश्चात् अपीलांटस काबिज काश्त है किन्तु विद्वान जिलाधीश अजमेर ने इस तथ्य को नजरअदांज कर विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख एवं मौके की जांच कराये बिना तथा अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । बहस में यह भी कथन किया कि विवादित आराजियात बाबत् अपीलांटस का नियमित राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के न्यायालय में विचारराधीन है जिसमें तहसीलदार, अजमेर भी पक्षकार है इसके बावजूद तहसीलदार ने विवादित आराजियात रेस्पो0 संख्या 2 को हस्तातंरित करते समय इस विवादित आराजियात के संबंध में विद्वान जिला कलक्टर को वस्तुस्थिति से अवगत नहीं कराया । राजस्व वाद के विचाराधीन रहते विवादित आराजियात रेस्पो0 संख्या 2 को हस्तातंरित नहीं की जा सकती है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर विद्वान जिला कलक्टर, अजमेमर का आदेश दिनांक 27.9.2013 एवं उसके आधार पर पारित नामांतकरण संख्या 57 दिनांक 15.1.2014 को विवादित आराजियात की हद तक निरस्त किया जावे ।

5. जवाब बहस में विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजियात सिवायचक होने से रेस्पो0 संख्या 2 को हस्तातंरित की गई है तथा उक्त आदेश की पालना में रेस्पो0 संख्या 2 के पक्ष में नामांतकरण संख्या 57 दिनांक 15.1.2014 को स्वीकृत हो चुका है । विवादित आराजियात पर अपीलांटस का कब्जा काश्त नहीं है । अपीलांटस ने जो दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये है वे अपीलांटस का अतिक्रमण साबित करते है तथा सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण के आधार पर धारा 75 की कार्यवाही के माध्यम से अपीलांटस को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है । अपीलांटस द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष विचाराधीन वाद में ही अपीलांटस को हक व अधिकार प्राप्त होने पर निर्णयानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 ने विद्वान राजकीय अधिवक्ता की बहस का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है। विवादित आराजियात वर्तमान में अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज होकर रेस्पो0 संख्या 2 का ही कब्जा है । अपीलांटस ने जो दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये है वे अतिक्रमण को दर्शाते है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांटस ने पूर्व में हाजा न्यायालय के समक्ष विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश कअ/राजस्व/एफ.12 (सी)/13/292

दिनांक 27.9.2013 के विरूद्ध अपील संख्या 134/2015/75 (2015/00233) बउनवानी रामदेव बनाम राज0 सरकार व अन्य पेश की थी जो हाजा न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.4.2019 को इस आधार पर खारिज की गई थी कि अपीलांटस ने विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत् प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश नहीं किया है । हाजा न्यायालय के आदेश दिनांक 22.4.2019 के विरूद्ध अपीलांटस द्वारा नजरसानी प्रार्थना पत्र संख्या 2019/00183 पेश किये जाने पर अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह अपील पुनः नंबर पर ली जाकर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में यह निवेदन किया है कि हाजा न्यायालय को गुणावगुण पर अपील को निर्णित करना चाहिये था । इस संबंध में अपील पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजातं का अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षैत्रफल से यह स्पष्ट है कि साबिक खसरा नंबर 3270 रकबा 5 बीघा के वर्किग खसरा नंबर 3590 रकबा 5 बीघा कायम किये गये है तत्पश्चात् वर्किग खसरा नंबर 3590 रकबा 5 बीघा के आधार खसरा नंबर 1736 रकबा 0.70 है0 एवं 1737/5528 मिन रकबा 0.11 है0 कायम किये गये है। पत्रावली पर उपलबध खतौनी जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 में विवादित आराजी खसरा नंबर 1736 रकबा 0.38 है0 की किस्म बीड़ दर्ज है इसी प्रकार खसरा नंबर 1737/5528 रकबा 0.11 है0 खनन कार्य हेतु आरक्षित होकर किस्म बीड़ दर्ज है । खतौनी जमाबंदी संवत् 2015 से 2018 में विवादित भूमि 3270 रकबा 5 बीघा शामलात देह दर्ज होकर कृषक के कॉलम में मूला वल्द तेजा गूजर का नाम अंकित है । इसी प्रकार संवत् 2019 से 2022 में विवादित भूमि में मूला का नाम बतौर अतिक्रमी अंकित है । इसी प्रकार अन्य खसरा गिरदावरियों में भी विवादित भूमि शामलात देह, बिलानाम दर्ज होकर मूला को बतौर अतिक्रमी अंकित किया गया है । अपीलांटस ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि विवादित आराजियात कभी भी उसकी या उसके पूर्वजों की खातेदारी में रही हो । जहां तक विवादित भूमि पर कब्जे काश्त का प्रश्न है अपीलांटस का कब्जा एक अतिक्रमी की हैसियत से दर्ज रहा है । अपीलांटस को अतिक्रमी की हैसियत से क्या हक व अधिकार प्राप्त होते है यह तो अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत नियमित राजस्व वाद में बाद साक्ष्य तय होगा किन्तु तब विवादित आराजियात सिवायचक होने से विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने रेस्पो0 संख्या 2 को हस्तातंरित किये जाने के आदेश पारित किये है जिसमें क्या अनियमितता रही है अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस निरस्त योग्य तथा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ.12 (सी)/13/292 दिनांक 27.9.2013 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 8.8.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,अजमेर